न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—396 / 18 (आरसीएमएस नं. 2018 / 00372)

01. प्रभू पुत्र नन्दा, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

02. विष्णु पुत्र चन्दा, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

02. उम्मेदसिंह पुत्र औंकार सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

03. मोहन सिंह पुत्र औंकार सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

04. उपेन्द्र सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

05. कृष्णा कंवर पत्नी मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

06. किशन सिंह पुत्र जयमाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

07. विजय पुत्र जयप्रकाश जाति महाजन निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

08. सुमेर सिंह पुत्र जयमाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

09. रामरतन सिंह पत्र रूडसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

10. हरपाल पुत्र रूडसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

11. सुन्दर कंवर पत्नी रमेशसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

12. गोविन्दसिंह पुत्र हिम्मत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

13. ज्योतिकंवर पुत्री राजेन्द्रसिंह नाबालिंग जरिये प्राकृति संरक्षिका माता सरोज देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

14. संदीप सिंह पुत्र शिवपालसिंह जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सरोज कंवर पत्नी शिवपाल सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

15. शक्तिसिंह पुत्र शिवपाल सिंह जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सरोज कंवर पत्नी शिवपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

16. सरोज कंवर पत्नी शिवपाल सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम पागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

17. रामवतार सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

P.T.O.

18. प्रभातसिंह पुत्र गोपाल जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
19. आनन्द सिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
20. उगमसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
21. सीमा पुत्री रजोन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
22. पेपसिंह पुत्र कंवरपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
23. गिरधारीसिंह पुत्र कंवरपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
24. धर्मसिंह पुत्र कंवरपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
25. शंकरसिंह पुत्र कंवरपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
26. श्रीरामसिंह पुत्र सतुसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
27. आशुसिंह पुत्र सतुसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
28. मीरा पत्नी सतुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
29. राजेश कुमार पुत्र चांदराम, जाति माली निवासी मुनिरका गांव साउथ वे नई दिल्ली
30. विजेन्द्र कुमार पुत्र चांदराम, जाति माली निवासी झडोदा कलां नई दिल्ली।
31. आशुसिंह पुत्र श्रीपाल, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम रेवता नई दिल्ली।
32. वटीकॉस्ट प्रा०लि० निदेशक जयकुमार पुत्र ओमप्रकाश, 138, जैन कॉलांनी उत्तम नगर नई दिल्ली।
33. गोपाल पुत्र नामालूम जाति वैश्य निवासी 136, जैन कॉलोर्नी, उत्तम नगर नई दिल्ली।
34. वंश पुत्र नामालूम जाति वैश्य, निवासी 138, जैन कॉलोनी, उत्तम नगर नई दिल्ली।
35. अर्पित पुत्र नामालूम जाति वैश्य, निवासी 138, जैन कॉलोनी उत्तम नगर नई दिल्ली।
36. जयकुमार पुत्र नामालूम जाति वैश्य, निवासी 138, जैन कॉलोनी उत्तम नगर नई दिल्ली।
37. रविन्द्र कुमार पुत्र चांदराम जाति माली निवासी झडोदाकलां नई दिल्ली।
38. कपिल कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति नामालूम निवासी सिरस,
39. अनिल कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहाम्ण निवासी झडोदाकलां नई दिल्ली

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

40. रेखा शर्मा पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी किराडोद, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर हाल निवासी 34, सिद्धार्थ कॉलोनी अजमेर रोड़, जयपुर।
41. अनिता पत्नी संजय कुमार, जाति ब्राहाम्ण निवासी किराडोद, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर हाल निवासी 34, सिद्धार्थ कॉलोनी, अजमेर रोड़, जयपुर।
42. ललित पुत्र रतनलाल शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी किराडोद, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर हाल निवासी 34, सिद्धार्थ कॉलोनी अजमेर रोड़, जयपुर।
43. अमित पुत्र रतनलाल, जाति ब्राहाम्ण निवासी किराडोद, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर हाल निवासी 34, सिद्धार्थ कॉलोनी, अजमेर रोड़, जयपुर।
44. रितेश पुत्र रतनलाल जाति ब्राहाम्ण निवासी किराडोद, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर हाल निवासी 34, सिद्धार्थ कॉलोनी, अजमेर रोड़, जयपुर।
45 रामसिंह पुत्र कानाराम, जाति अहीर, निवासी किराडोद, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
46. नागरमल पुत्र भूरामल जाति अहीर निवासी प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
47. शंकरलाल पुत्र भूरामल जाति अहीर निवासी प्रागपुरा तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर। **(मृतक दौराने अपील)**
    47/1.आंची देवी पत्नी स्व. शंकरलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
    47/2.वेदप्रकाश पुत्र स्व.शंकरलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्या 116/18(आरसीएमएस नं. 2019/00055)

01. किशन सिंह पुत्र जयमल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
02. विजय सिंह पुत्र जयमाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

01. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
02. उम्मेदसिंह पुत्र औंकार सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
03. मोहन सिंह पुत्र औंकार सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
04. उपेन्द्र सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

05. कृष्णा कंवर पत्नी मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

06. सुमेर कंवर पत्नी पूरणसिंह, जाति राजपूत निवासी पट्टी (ढोबरा) वाया गच्छीपुरा, तहसील डेगाना, जिला नागौर।

07. रामरतन सिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

08. हरपाल पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

09. सुन्दर कंवर पत्नी रमेशसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

10. गोविन्दसिंह पुत्र रमेश सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

11. ज्योतिकंवर पुत्री राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

12. संदीप सिंह पुत्र शिवपालसिंह जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सरोज कंवर पत्नी शिवपाल सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

13. शक्तिसिंह पुत्र शिवपाल सिंह जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सरोज कंवर पत्नी शिवपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

14. सरोज कंवर पत्नी शिवपाल सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

15. श्रीमती सरे कंवर पत्नी रामवतार सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

16. भवानीसिंह पुत्र स्व. रामवतार सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

17. अशोक सिंह पुत्र स्व. रामवतार सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

18. प्रताप सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

19. आनन्द सिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

20. उत्तमसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

21. सोमबाई पुत्री राजेन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

22. पैपसिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

23. गिरधारीसिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

24. धर्मसिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

25. शंकरसिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
26. श्रीरामसिंह पुत्र नत्थूसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
27. जयराम सिंह पुत्र नत्थूसिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
28. मीरा पत्नी नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
29. राजेश कुमार पुत्र चांदराम, जाति माली निवासी मुनिरका गांव साउथ वे नई दिल्ली।
30. विजेन्द्र कुमार पुत्र चांदराम, जाति माली निवासी झडोदा कलां नई दिल्ली।
31. आशुसिंह पुत्र श्रीपाल, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम रेवता नई दिल्ली।
32. वटीकॉस्ट प्रा0लि0 निदेशक जयकुमार पुत्र ओमप्रकाश, 138, जैन कॉलोनी उत्तम नगर नई दिल्ली।
33. गोपाल पुत्र ....जाति वैश्य निवासी 136, जैन कॉलोनी, उत्तम नगर नई दिल्ली।
34. वंश पुत्र .... जाति वैश्य, निवासी 138, जैन कॉलोनी, उत्तम नगर नई दिल्ली।
35. अर्पित पुत्र .... जाति वैश्य, निवासी 138, जैन कॉलोनी उत्तम नगर नई दिल्ली।
36. जयकुमार पुत्र ....जाति वैश्य, निवासी 138, जैन कॉलोनी उत्तम नगर नई दिल्ली।
37. रविन्द्र कुमार पुत्र चांदराम जाति माली निवासी झडोदाकलां नई दिल्ली।
38. कपिल कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति .... निवासी सिरस,
39. अनिल कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राहाम्ण निवासी झडोदाकलां नई दिल्ली
40. रेखा शर्मा पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति ब्रहाम्ण निवासी किराडोद, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर हाल निवासी 34, सिद्धार्थ कॉलोनी अजमेर रोड़, जयपुर।
41. अनिता पत्नी संजय कुमार, जाति ब्राहाम्ण निवासी किराडोद, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर हाल निवासी 34, सिद्धार्थ कॉलोनी, अजमेर रोड़, जयपुर।
42. ललित पुत्र रतनलाल शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी किराडोद, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर हाल निवासी 34, सिद्धार्थ कॉलोनी अजमेर रोड़, जयपुर।
43. अमित पुत्र रतनलाल, जाति ब्राहाम्ण निवासी किराडोद, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर हाल निवासी 34, सिद्धार्थ कॉलोनी, अजमेर रोड़, जयपुर।
44. रितेश पुत्र रतनलाल जाति ब्राहाम्ण निवासी किराडोद, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर हाल निवासी 34, सिद्धार्थ कॉलोनी, अजमेर रोड़, जयपुर।

P.T.O.

45 रामसिंह पुत्र कानाराम, जाति अहीर, निवासी किराडोद, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

46. नागरमल पुत्र भूरामल जाति अहीर निवासी प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

47. आंची देवी पत्नी स्व. शंकरलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

48. वेदप्रकाश पुत्र स्व.शंकरलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

49. प्रभू पुत्र नन्दा, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

50 विष्णु पुत्र चन्दा, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

51. जनकसिंह पुत्र जयमल सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 14.10.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीले न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर के आदेश दिनांक 25.07.2018 क्रमांक राजस्व–11/2018/1225–1228 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वाके ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1294 रकबा 0.8873 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1295 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1296 रकबा 1.0738 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.9811 हैक्टयर का अपीलार्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1294/1 रकबा 0.4427 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1297 रकबा 1. 5385 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8500 हैक्टयर अपीलार्थी संख्या 2 राजस्व भू अभिलेख में खातेदार काश्तकार दर्ज है। उन्होने कथन किया है कि तहसीलदार कोटपूतली ने बिना मौका देखे व बिना कोई जांच किये अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1294, 1297 में रास्ता बताते हुऐ एक प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में भेजा जिसे अधीनस्थ न्यायायल ने बिना जांच किये ही व बिना समुचित सुनवाई का अवसर दिये रास्ता दर्ज करने की आज्ञा प्रसारित कर दी जो विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि यह निर्विवाद है कि पटवारी हल्का ने मौका निरीक्षण रिपोर्ट की जांच के समय अपीलार्थीगण को कोई नोटिस नही दिया गया, न मजमेंआम का कोई सार्वजनिक नोटिस ही दिया गया एवं गिरदावर हल्का ने भी कोई जांच मौके पर नही की व न ही

P.T.O.

तहसीलदार द्वारा सत्यता की जांच की गई और प्रिन्टेड प्रफोर्मा में केवल खाली स्थान को भरते हुऐ भेज दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने सुनवाई का पर्याप्त अवसर न देकर दिनांक 25.07.2018 को अपना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरित होने कारण निरस्तनीय है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू.अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60एच 66 व 86 का गलत रूप से विवेचन कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2018 पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि कानूनन परिपत्र के अनुसार जब तक मूल अधिनियम में परिवर्तन न हो तब तक उस परिपत्र के आधार पर कोई परिवर्तन नही किया जा सकता चूँकि रास्ते सम्बन्धी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिये गये है जिस पहलू पर भी कोई विचार न कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय देने में गंभीर कानूनी भूल की है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है अपीलार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता ना कभी रहा है, न ही मौके पर कोई रास्ता है, पटवारी हल्का एवं तहसीलदार ने बिना मौके पर गये रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है जबकि पटवारी या तहसीलदार मौके पर गये ही नही, न ही मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस ही दिया गया, ऐसी स्थिति में भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है तथाकथित परिपत्र वर्ष 2016 की अवधि के लिऐ था लेकिन अपीलाधीन आदेश पारित करने की दिनांक को परिपत्र दिनांक 10.08.2016 प्रभावी नही था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करने में अहम कानूनी भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार ने राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.8(2)राज–6/2003 पार्ट दिनांक 10.08.2016 के परिपत्र में दिये गये निदेर्शो एवं नीमों की भी पालना नही की जबकि इस निर्मित नियम 58 (3) अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट प–31 की प्रति सम्मन द्वारा दी जावेगी ऐसी स्थिति में रिपोर्ट व सूचना तहसीलदार व पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थीगण को मौका देखने से पूर्व या बाद में कभी भी नही दी गई इस कारण भी यह मौका जॉच रिपोर्ट भू–अभिलेख नियम के मापदण्डों के अनुसार नही होने के कारण एवं उसी रिपोर्ट पर यह अपीलाधीन आदेश दिये जाने के कारण उक्त आदेश गैर कानूनी होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि के बाबत सिविल न्यायाधीश (क.ख.) कोटपूतली जिला जयपुर के समक्ष एवं न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के समक्ष वाद विचाराधीन है जिनमें यथास्थिति का आदेश प्रभावी है, उक्त आदेश के प्रभावी रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय को कानूनन अपनी कार्यवाही न्यायहित में रोकना आवश्यक था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर अपने में निहित

P.T.O.

क्षेत्राधिकार का गंभीर रूप से दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो किसी भी अवस्था मे बहाल रखे जाने योग्य नही है बल्कि सरसरी तौर पर ही खारिज किय जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.07.2018 क्रमांक राजस्व–11 / 2018 / 1225–1228 निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील संख्या 116 / 18 उनवान किशनसिंह बनाम राजस्थान सरकार के अधिवक्ता ने अपील संख्या 116 / 18 के तथ्यों का समर्थन करते हुए एवं अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नही दिया, किसी भी परिपत्र के अनुसार जब तक मूल अधिनियम में परिवर्तन न हो तब तक उस परिपत्र के आधार पर कोई परिवर्तन नही किया जा सकता चूँकि रास्ते सम्बन्धी प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ऐ में दिये गये लेकिन इस पहलू पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई कोई विचार न कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.07.2018 अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में अपीलार्थीगण को सुनवाई का नोटिस दिये बिना एकतरफा में पारित आदेश है जिसकी जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में कभी नही रही, अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 49 व 50 द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील सख्या 396 / 18 उनवानी प्रभू बनाम राजस्थान सरकार के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों के पास आने पर अपीलार्थीगण को उनके परिवार के सदस्य द्वारा सम्मन बताने पर अपीलार्थी ने जयपुर आकर अपील के बारे मे जानकारी की तथा वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी की नकल दिनांक 30.05.2019 को हल्का पटवारी से प्राप्त की जब उक्त जमाबन्दी मे अपीलार्थी की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1298 रकबा 0.0812 हैक्टयर भूमि में से 0.0050 हैक्टयर भूमि गैर मुमकिन रास्ते में दर्ज होने बाबत अंकन की जानकारी हुई जिस पर अपीलान्ट जयपुर आकर अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु दिनांक 11.06.2019 को आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 12.06.2019 को नकल प्राप्त हुइ जिस पर उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का मियाद से माफी दिये जाने बाबत अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2018 क्रमांक राजस्व–11 / 2018 / 1225–1228 निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 32, 35, 40 लगायत 46 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि पटवारी हल्का प्रागपुरा की रिपोर्ट दिनांक 12.08.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम किरोड़ोद की

आराजी विवादग्रस्त खसरा नम्बर 1297/2, 1298/2, 1300/7, 1301/1, 1304/6 1306/1 की किस्म गैर मुमकीन रास्ता खातेदारों की खातेदारी में स्थित है तथा उक्त रास्ते से अन्य खातेदारान आते--जाते है जिस पर अपीलान्ट्स द्वारा फसल बोकर रास्ता अवरूद्ध किया हुआ था जबकि अन्य पक्षकारान को अपनी खातेदारी भूमि में आने के लिए अन्य कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है तथा भूमिधारा तहसीलदार कोटपूतली द्वारा राजस्व विभाग (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसारण में भूमि विवादग्रस्त बाबत पुराने रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान का सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है।

रेस्पोडेन्ट सख्या 32, 35, 40 लगायत 46 के अधिवक्ता ने कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज--6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में समस्त कार्यवाही की गई है तथा जब तक उक्त परिपत्र प्रभावी है तब तक उक्त परिपत्र की पालना में की गई कार्यवाही को अवैध नही ठहराया जा सकता है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद दिनांक 10.08.2018 को नामान्तरकरण संख्या 2771 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के आदेश क्रमांक राजस्व--11/2018/1226--1228 दिनांक 25.07.2018 की पालना में हो चुका है व मुताबिक आदेश तहसीलदार कोटपूतली के आदेश क्रमांक राजस्व/18/535 दिनांक 29.10.2018 व उप तहसीलदार पावटा आदेश क्रमांक भू.अ./18/247–254 दिनांक 06.11.2018 की पालना में दिनांक 13.11.2018 को उप तहसीलदार पावटा, भू अभिलेख निरीक्षक खेलना, पटवारी हल्का प्रागपुरा, जोधपुरा, खेलना, बड़नगर व पुलिस जाब्ता प्रागपुरा थाने की मौजूदगी मे अतिक्रमण हटाकर रास्ते को सुचारू से चालू करवाया जा चुका हैं, उक्त रास्ते पर ग्रवल सड़क बनी हुई एवं रास्ता चालू हे तथा उक्त रास्ता की राजस्व रिकार्ड में तरमीम होने के पश्चात् अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि प्रकरण में सिविल न्यायालय कोटपूतली के निर्णय दिनांक 03.04.2006 एवं अन्य सिविल न्यायालयों के निर्णयों पर गौर फरमाया जाकर अपीलान्ट की अपील सारहीन हो जाने के कारण खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलाथीगण के प्रार्थना

P.T.O.

पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट्स प्रभू व विष्णु द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के आदेश दिनांक 06.06.18 के द्वारा आराजी खसरा नम्बरान 1294/0.98, 1295/0.02,1296/1.07, 1294/1/0.44, 1297/1.53 वाके मौजा प्रागपुरा के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश ताफैसला वाद जारी किये गये है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारान को भेजे गये नाटिसेज संयुक्त रूप से भेजे गये जिसकी तामिल भी सम्यक रूप से खातेदारान पर नही करवाई गई है जिससे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2018 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की दोनों अपीले स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.07.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण मे पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष दिनांक 25.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर के समक्ष उपस्थित होवें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।